बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

GST के अधीन माह जुलाई का रिटर्न दाखिल करने हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ

सभी करदाताओं चाहे उनकी खरीद–बिक्री शुन्य ही क्यों न हो, उन्हे अनिवार्य रूप से संशोधित नियत तिथि तक GSTR-1, GSTR-2 एवं GSTR-3 दाखिल करनी है। इन विवरणियों को दाखिल करने की संशोधित नियत तिथि जी.एस.टी. परिषद द्वारा 9 सितम्बर, 2017 को जारी किये गये प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार निम्नवत् है :–

माह की विवरणी	**GSTR-1** दाखिल करने की संशोधित नियत तिथि	**GSTR-2** दाखिल करने की संशोधित नियत तिथि	**GSTR- 3** दाखिल करने की नियत संशोधित तिथि
जुलाई, 2017	**10 अक्टूबर, 2017**(राज्य में 100 करोड़ से कम सकल आवर्त वाले करदाताओं के लिये)। **3 अक्टूबर, 2017**(राज्य में 100 करोड़ से अधिक सकल आवर्त वाले करदाताओं के लिये)।	31 अक्टूबर, 2017	10 नवम्बर, 2017

माह जुलाई, 2017 के GSTR-3B दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं के लिये विलम्ब पर लगने वाला विलम्ब शुल्क राजस्व विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या– 28/2017 के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। अतः बिना विलम्ब शुल्क के इसे शीघ्र दाखिल करें।

वैट के अंतर्गत निबंधित होने के बावजूद GST में पूर्ण माईग्रेशन नहीं करने वाले सभी व्यवसायी कृपया ध्यान दें–

यह पाया गया है कि कुछ व्यवसायियों द्वारा अपना ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नंबर पंजीकृत कराकर पंजीयन तो करा लिया गया हैं परन्तु उनके द्वारा अपना Enrolment के लिए सभी Form पूर्ण रूप से भरकर DSC/EVC के माध्यम से Submit करते हुए ARN Generate नहीं कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि ARN Generate होने के पश्चात ही माईग्रेशन पूर्ण होता है। पूर्ण माईग्रेशन नहीं कराये जाने की दशा में निबंधित व्यवसायियों को भारी असुविधा होगी एवं वे GST के अधीन न तो कोई विवरणी दाखिल कर सकते है और न ही कर का भुगतान कर सकते है। विलम्ब से विवरणी दाखिल करने एवं कर का भुगतान करने पर उन्हें Late fine, Penalty, Interest आदि भी देना होगा।

व्यवसायियों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा सभी अंचलों म सुविधा केन्द्र खोला गया है एवं मुख्यालय स्तर पर भी हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है, जहां व्यवसायी अपना माईग्रेशन निःशुल्क करा सकते है। विभागीय हेल्पडेस्क प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक कार्यरत है, जिसका टेलीफोन नंबर 0612-2233512-16, मो0–9472457846 एवं 9199273130, टॉल फ्री नंबर 18003456102 है।

कृपया www.gst.gov.in पर लॉग–इन कर सभी कॉलम भरते हुए माईग्रेशन की विधिवत् प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें।

नोटः– रिटर्न दाखिला के सम्बंध में पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी हेतु बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 को देखा जा सकता है, जो विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर उपलब्ध है।

निर्धारित तिथि तक वांछित सभी विवरणी दाखिल करें। इसमें शीघ्रता करें एवं अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचें।

आयुक्त–सह–प्रधान सचिव

निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक–12.09.2017 को प्रकाशन हेतु ज्ञापांक–6627 दिनांक–11.09.2017 द्वारा निर्गमादेश।

HINDUSTAN, ALL BIHAR------------------------12.09.2017
PRABHAT KHABAR, PATNA+BHAG+MUZ-------12.09.2017
AAJ, PATNA--12.09.2017
TOI, PATNA--12.09.2017

DAINIK JAGRAN, PATNA+BHAG+MUZ----------------------13.09.2017
DAINIK BHASKAR,PATNA---13.09.2017
Q T, PATNA--13.09.2017